Fire and Emergency Services Department

16 Reforms undertaken by Fire and Emergency Services Department

16.1 Mandate for only-online submission for application for Fire No Objection Certificate

The Fire and Emergency Services Department, Government of Uttarakhand has mandated that applications for Fire No-Objection Certificate be availed only through the online mechanism. The Department has also mandated that these services be provided through the online portal without any hard copy processes and physical touchpoints.

The online portal allows the submission, fee payments and approvals to be done in a completely online manner.

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक: डीजी—आठ—85 / 2015(3) दिनांक: जून, 03 2017।

सेवा में

समस्त वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक
उत्तराखण्ड राज्य।

विषय— **Ease of Doing Business** के अन्तर्गत अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग की सेवाओं के सरलीकरण में उद्यमियों हेतु अनिशमन की अनापत्ति प्रमाण पत्र शत प्रतिशत Online निर्गत किये जाने एवं विगत 02 वर्षो का डाटा Online उपलब्ध कराये जाने विषयक।

कृपया उपर्युक्त विषयक दिनांक 31.05.2017 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निर्देशित किया गया कि प्रत्येक विभाग की सेवाओं के सरलीकरण में उद्यमियों हेतु विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र शत प्रतिशत Online निर्गत किये जायेगें तथा विगत 02 वर्षो का डाटा विभागीय पोर्टल पर Online उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अपने अधीनस्थ मुख्य / अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें कि सभी मुख्य / अग्निशमन अधिकारी **Ease of Doing Business** के अन्तर्गत अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग की सेवाओं के सरलीकरण में उद्यमियों हेतु अग्निशमन की अनापत्ति प्रमाण पत्र शत प्रतिशत Online निर्गत करेगें जिसके सम्बन्ध में पूर्व में हुई गोष्ठियों एवं पत्राचार के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी लौटती डाक से उपलब्ध करायेगें *कि अनिशमन की अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में सभी आवेदन एवं उनका निस्तारण सिंगल विण्डो सिस्टम एवं विभागीय पोर्टल के माध्यम से Online निर्गत किये जा रहे हैं तथा किसी भी अधिकारी के द्वारा ऑफ लाइन निर्गत नहीं किये जा रहे हैं।*

यदि किसी भी अधिकारी द्वारा अनिशमन की अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धी आवेदन / निस्तारण ऑफ लाईन किया जाना संज्ञान में आता है तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाते हुए शासन को अवगत करा दिया जायेगा।

3/6
(जी0एस0 मर्तोलिया)
पुलिस महानिरीक्षक,
अग्निशमन एवं आपात सेवा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

प्रतिलिपि —

मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून / हरिद्वार / उधमसिंहनगर / नैनीताल / अल्मोड़ा को इस निर्देश के साथ भी कि अपने कार्यक्षेत्रान्र्गत सभी जनपदों की विगत 02 वर्षो में जो भी ऑफ लाईन अनापत्ति प्रमाण निर्गत की गयी हैं को स्कैन(पीडीफ) कर पेन ड्राइव / सीडी में **10 दिवस के अन्दर** इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि विगत 02 वर्षो का डाटा विभागीय पोर्टल पर Online उपलब्ध कराया जा सके।